"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 545]   रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2015— अग्रहायण 14, शक 1937

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-10/2006/16. — भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (क्र. 27 सन् 1996) की धारा 18 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 251 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, दिनांक 13-02-2012 से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन करती है.

No. F 1-10/2006/16. — In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (No. 27 of 1996) read with Rule 251 of the Chhattisgarh Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 the State Government, hereby, constitutes the Chhattisgarh Building and other Construction Workers Welfare Board with effect from 13-02-2012.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.